न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या–09/2024–25

–: आदेश :–

सूची 14–फारम संख्या–560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
14/10/24	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **(बिक्रेता) छुटन महतो पिता–स्व0 फलारी महतो, जाति–कुर्मी, ग्राम–चन्दनकियारी, थाना–चन्दनकियारी, जिला–बोकारो** के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत **मौजा–चन्दनकियारी, थाना नं0–263, खाता नं0–35, प्लॉट नं0–768, रकवा–0.05 एकड़** भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 183/भू0सु0, दिनांक 10.05.2024 के द्वारा अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी के पत्रांक 1170 दिनांक 18.07.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :– 1. बिक्री किये जाने वाले भूमि सर्वे रैयती खाते की है। सर्वे खतियान **गुही मियाँ दी0** के नाम से दर्ज है। 2. बिक्रेता को उक्त भूमि **केवाला** से प्राप्त है। 3. पंजी II रैयत से बिक्रेता का संबंध **पिता–पुत्र** का है। 4. **बिक्रेता–छुटन महतो पिता–स्व0 फलारी महतो, ग्राम–चन्दनकियारी, थाना–चन्दनकियारी, जिला–बोकारो** के निवासी है एवं **क्रेता–सविता कुमारी, पति–मिथुन कुमार महतो, ग्राम–बोगुला, थाना–चन्दनकियारी, जिला–बोकारो** के निवासी है। 5. क्रेता एवं बिक्रेता एक ही थाना क्षेत्र के निवासी है एवं बिक्री जाने वाली भूमि उसी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत है। 6. क्रेता एवं बिक्रेता एक ही जिला के निवासी है एवं बिक्री जाने वाली भूमि उसी जिला के अन्तर्गत है। 7. बिक्रेता एवं क्रेता जाति के **कुर्मी** है। 8. बिक्री की जानेवाली भूमि विवाद रहित है। 9. बिक्री की जानेवाली भूमि सैरात/भूदान/गैरमजरूआ आम व खास/कब्रिस्थान/सरना/मसना/धार्मिक–स्थल/ अधिग्रहण इत्यादि से बाहर है। 10. भूमि बिक्री के उपरांत बिक्रेता के पास लगभग 2.00 एकड़ भूमि अवशेष बचता है। 11. बिक्री हेतु आवेदित प्लॉटों में पंजी II के अनुसार 0.05 एकड़ है। 12. बिक्री के उपरान्त विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे। 13. बिक्रेता को उक्त भूमि केवाला से प्राप्त है। जिसका **निबंधन संख्या–5243 दिनांक–06.04.1956** है। 14. बिक्री की जानेवाली भूमि का जमाबंदी ऑनलाईन में भाग सं0–2 एवं पृष्ठ सं0–700 है तथा जमाबंदी आवेदक के पिता फलारी महतो के नाम से कायम है। जिसका वर्ष **2024–25** तक लगान रसीद निर्गत है। 15. विक्रेता का वंशावली अभिलेख के साथ संलग्न है। 16. स्थल पर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल–कब्जा है । 17. बिक्री की जानेवाली भूमि का किस्म रैयती बाईद है । 18. आवेदित भूमि को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत बिक्री करने हेतु अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी द्वारा अनुशंसा की गई है। 19. प्रतिवेदन के साथ आम सूचना तामिला प्रतिवेदन संलग्न है।	

अनुसूची 14—फारम संख्या—560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
	विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0 सं0 *JHLRCO/2022/138951* दिनांक 22.03.2022 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0 *JHRC/2024/65635* दिनांक 26.02.2024 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। अतः अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत आवेदक (विक्रेता) छुटन महतो पिता—स्व0 फलारी महतो, जाति—कुर्मी, ग्राम—चन्दनकियारी, थाना—चन्दनकियारी, जिला—बोकारो के द्वारा चन्दनकियारी अंचल अन्तर्गत मौजा—चन्दनकियारी, थाना नं0—263, खाता नं0—35, प्लॉट नं0—768, रकवा—0.05 एकड़ भूमि (क्रेता) सविता कुमारी, पति—मिथुन कुमार महतो, जाति—कुर्मी, ग्राम—बोगुला, थाना—चन्दनकियारी, जिला—बोकारो को बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित, भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।	C.C. निर्गत 24/X/24

Digitally signed by PRABHASH KUMAR DUTTA
Date: 2025.01.17 19:28:57 +05:30
Location: 192.168.1.42